



भाकृअनुप – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation
अनुसंधान केंद्र, दतिया, म.प्र., ४७५६६१
Research Centre-Datia, MP, 475661



क्रमांक --- -----/2(8)/2021-22/भण्डार/दतिया

दिनांक -

निविदा सूचना

सचिव, भाकृअनुप– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से (On Behalf of Secretary ICAR, New Delhi) भाकृअनुप – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, दतिया के फार्म परिक्षेत्र, में 15.06.2022 तक के लिए मत्स्यपालन के लिए तालाब की नीलामी हेतु मोहरबंद निविदाएँ **स्पीड पोस्ट/रजिस्टर पोस्ट** के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

- निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय – 17/05/2021 शाम 5:00 बजे तक
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 18/05/2021 दोपहर 11:30 बजे
- 1. उर्पयुक्त मत्स्यपालन हेतु तालाब की नीलामी की अन्य नियम एवं शर्तें निविदा-प्रपत्र में वर्णित हैं।
- 2. उक्त नीलामी निविदा-प्रपत्र का अवलोकन संस्थान की वेबसाईट www.cswcrtiweb.org पर भी किया जा सकता है तथा यह निविदा-पत्र संस्थान की इस वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी निविदा के साथ निश्चित तिथि एवं समय तक जमा कराया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)



भाकृअनुप – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation
अनुसंधान केंद्र, दतिया, म.प्र., ४७७५६६
Research Centre-Datia, MP, 475661



क्रमांक --- -----/2(8)/2019-20/भण्डार/दतिया

दिनांक -

निविदा प्रपत्र

सचिव, भाकृअनुप– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से (On Behalf of Secretary ICAR, New Delhi) भाकृअनुप – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, दतिया के फार्म परिक्षेत्र, में 15.06.2022 तक के लिए मत्स्यपालन के लिए तालाब की नीलामी हेतु मोहरबंद निविदाएँ **स्पीड पोस्ट/रजिस्टर पोस्ट** के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

- निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय – 17/05/2021 शाम 5:00 बजे तक
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय – 18/05/2021 दोपहर 11:30 बजे

1. उर्पयुक्त मत्स्यपालन हेतु तालाब की नीलामी की अन्य नियम एवं शर्तें निविदा-प्रपत्र में वर्णित हैं।
2. उक्त नीलामी निविदा-प्रपत्र का अवलोकन संस्थान की वेबसाईट www.cswcrtiweb.org पर किया जा सकता है तथा यह निविदा-प्रपत्र संस्थान की इस वेबसाईट से डाउनलोड कर अपनी निविदा के साथ निश्चित तिथि एवं समय तक जमा कराया जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

नीलामी की शर्तें :-

१. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को रुपये 10000/- (रुपये---दस हजार मात्र) केवल बैंक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में **Head, Central Soil & Water Conservation Research & Training Institute, RC, Datia** के नाम में जमानत के तौर पर नीलामी से पहले कार्यालय में जमा करने होंगे जमानत की राशी अन्य किसी रूप में मान्य नहीं होगी जमानत राशी अधिकतम निविदादाता एवम द्वितीय श्रेणी के निविदादाता को छोड़कर अन्यो को उसी दिन वापिस कर दी जायेगी।
२. निविदादाता फार्म तालाब की वस्तुस्थिति कार्यालय दिवस एवं समय पर आकार देख सकते हैं।
३. मत्स्य को ले जाते समय प्रक्षेत्र की सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति / नुकसान नहीं होना चाहिये। यदि उस अवधि में ठेकेदार या उसके मजदूरों द्वारा प्रक्षेत्र को किसी प्रकार की क्षति / नुकसान किया जाता है तो उसके लिये ठेकेदार के खिलाफ केंद्राध्यक्ष जो निर्णय करेंगे वह मान्य होगा तथा उसका पालन न करने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है।
४. नीलामी अवधि दिनांक 15/06/2022 तक मान्य होगा।
५. किसी भी स्थिति में ठेके की अवधि नहीं बढ़ाई जायगी न ही ठेके की अवधि बढ़ाने का कोई आवेदन स्वीकार किया जायगा।
६. चिन्हित पॉइंट की निचली सतह से 1.5 मीटर तक तालाब में उपलब्ध पानी का उपयोग केंद्र, अनुसंधान प्रयोजन व अन्य फसलों के लिये करेगा। इसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी। जल स्तर के निश्चित सीमा से नीचे (चिन्हित पॉइंट की निचली सतह से 1.5 मीटर) जाने पर केंद्र की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

७. ठेकेदार राज्य शासन , मत्स्य पालन विभाग की समय समय पर बनाये गये विधि विधानो एवम नियमो तथा आदेशो का पालन करना होगा तथा राज्य या केंद्र शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये कानूनो तथा आदेशो का पालन करना होगा ।
८. मत्स्य पकड़ने का कार्य केवल कार्य दिवस मे ही होगा । रविवार या अन्य अवकाशो मे अनुमति नही दी जायेगी ।
९. किसी भी स्थिती में ठेकेदार या अन्य मजदूरो को फार्म के मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य रास्ते से आने जाने की अनुमती नही दी जायेगी ।
१०. किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना से होने वाले नुकसान पर इस केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
११. ठेकेदार को मत्स्य पकड़ने की अवधि मे तालाब से पानी निकालने की अनुमति नही होगी ।
१२. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नही होगी ।
१३. निविदादाता को अंतिम तिथि तथा समय के पश्चात अपनी निविदा को वापस लेने अथवा दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा ।
१४. सफल निविदादाता को अपनी निविदा राशि की चोथाई राशि (1/4 राशि) निर्देश पर उसी दिन बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी । अन्यथा उनके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को जप्त कर लिया जायगा । शेष ¾ राशि स्वीकृति जारी होने के एक सप्ताह में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी । अन्यथा ठेका निरस्त कर दिया जायगा व जमा कराई गई 25 % राशि जप्त कर ली जायगी ।
१५. केंद्राध्यक्ष को निविदादाता की निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
१६. ठेकेदार को निविदा में अंकित पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या नहीं पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी कारण से होने वाले नुकसान आदि के लिय किसी प्रकार का हर्जाना या मुआवजा प्राप्त करने हेतु किसी न्यायालय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा । साथ ही ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी को किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान होता है तो उस-की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । तालाब के पानी , मत्स्य इत्यादि की व्यवस्था का दायित्व ठेकेदार का होगा ।
१७. तालाब में विभागीय परियोजनाए सिचाई प्रारम्भ की जाने पर निविदादाता यथानुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।
१८. नीलामी किसी अन्य को स्थानांतरित अथवा विक्रय नही की जा सकती । यदि ऐसा संज्ञान में आता है तो नीलामी शेष अवधि के लिय रद्द कर दी जायगी तथा सम्पूर्ण जमा राशि को जब्त कर लिया जायगा । निविदादाता द्वारा तालाब का अन्य किसी भी ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा । अगर किसी कारणवश तालाब पर मनोनीत सदस्य नियुक्त किया जाता है तो केंद्राध्यक्ष को उसकी प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित कर मनोनयन हेतु सक्षम अधिकारी की मान्यता प्राप्त करेगा अन्यथा अधिकार पत्र न होने की दशा में जलाशय पर मत्स्याखेट अवैधानिक माना जाकर जब्ती की कार्यवाही की जायगी ।
१९. यदि निविदा शर्त उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त होगी या निविदा शर्तों में संशोधनपरिवर्धन होगा / तो निविदा खोलने के पूर्व कमेटी द्वारा घोषित कर अंकित कर दी जायगी ।
२०. सफल निविदादाता द्वारा चोथाई राशि जमा कराने के बाद ही अन्य निविदादाताओ को धरोहर राशि लोटाई जायगी ।

२१. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं तार व पत्र मान्य नहीं होगी टेलीफोनमेल / द्वारा दी गई निविदा मान्य नहीं होगी ।
२२. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपना सही पता अंकित करना होगा । सम्पूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्रादिसूचना निविदादाता के पास नहीं पहुंचेगी तो विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं / होगी ।
२३. अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के बाद प्रेक्षत्र अधिकारी से लेबर परमिट प्राप्त करना होगा तथा मछली पकड़ने का कार्य प्रारम्भ करने व बंद करने की सूचना पूर्व में ही प्रेक्षत्र अधिकारी को लिखित में देनी होगी ।
२४. निविदादाता को सभी निविदा शर्तें स्वीकार की गईं और केंद्र के साथ निविदादाता द्वारा किये गए अनुबंध का भाग मानी जायगी ।
२५. निवास स्थान का पता एवं नाम जो भी निविदा पत्र में अंकित किया जायगा उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
२६. नीलामी के पश्चात यदि राज्यसर्विस टेक्स मत्स्याखेट पर आरोपित /केंद्र सरकार द्वारा कोई कर/ किया जाता है तो उसे स्वीकृत निविदादाता द्वारा अलग से देय होगा।
२७. ठेकेदार को कार्य पर लगाय गए सभी कर्मचारियों का पहचान पत्र जारी करना होगा तथा उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी अपने स्तर पर करना होगा ।
२८. ठेकेदार को केंद्र के साथ नान जुडिशियल स्टॉप पेपर में शर्तों के अनुसार अग्रीमेंट करना होगा ।-
२९. तालाब को मात्र मत्स्य पालन के उपयोग हेतु ही दिया जा रहा है न कि यह किसी अन्य उपयोग हेतु ।
३०. मत्स्य का आखेट कर केंद्र के फार्म प्रेक्षत्र एवं केंद्र के परिसर के सामने विक्रय नहीं कर सकते ।
३१. मत्स्य बीज आवश्यकतानुसार निविदादाता स्वयं तालाब में डालेगा ।
३२. मछली ले जाते समय केन्द्र को आकड़े एकत्रित करने हेतु मछली का बजन कराना होगा ।
३३. निविदा खोलते समय इच्छुक नीलामी में भाग लेने वाले सभी निविदादाता Covid-19 के नियमों का पालन करते हुये पहचान पत्र के साथ उपस्थित होंगे, अन्य व्यक्ति/प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित नहीं होगा ।
३४. निविदा दाता द्वारा मछली ठेके की निविदा की उपरोक्त सभी शर्तें पढ़ ली गईं हैं । उक्त सभी शर्तें मान्य हैं तथा मंजूरी के हस्ताक्षर अपनी राजी खुशी से बिना किसी दवाव के पूर्ण होसो हवास में किये हे तथा एक प्रमाणपत्र लगाना होगा ।

(भगवान दास कुशवाहा)
प्रभारी अधिकारी (भंडार)

प्रतिलिपि

- सूचना पटल एवं केंद्र के मेन गेट भारतीयमृदाएवंजलसंरक्षणसंस्थान, अनुसंधानकेंद्र,दतिया
- प्रभारी अधिकारी प्रेक्षत्र भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधानकेंद्र,दतिया
- सहायक निदेशक (मतस्य) दतिया को सूचनार्थ

घोषणा

मैं, मैसर्स यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा इस निविदा-प्रपत्र में अंकित सभी नियम एवं शर्तें भलि-भांति पढ़ एवं समझ ली गयी है तथा मुझे निविदा प्रपत्र की सभी नियम एवं शर्तें पूर्ण रूप से स्वीकार हैं।

फर्म/निविदादाता का नाम एवं हस्ताक्षर/मोहर सहित यदि संभव है।

Mobile: +91-9450068380



भाकृअनुप – भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation
अनुसंधान केंद्र, दतिया, म.प्र., ४७५६६१
Research Centre-Datia, MP, 475661



ढेका निविदा दर

महोदय, मैं आपके केन्द्र पर प्रक्षेत्र के तालाब को एक वर्ष के लिये तक मत्स्यपालन के ढेके के सन्दर्भ में अपनी दर निम्न रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

क्रमांक	विवरण	निविदा दर
1	प्रक्षेत्र के तालाब को मत्स्यपालन का ढेका 16/06/2021 से 15/06/2022 तक	रू0 निविदा राशि शब्दों में

मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि यदि मैं ढेके की नियम एवं शर्तों जो निविदा-पत्र में वर्णित है कि अनुपालना में असफल होता हूँ तो इस ढेके के सन्दर्भ में जमा करायी गयी ढेका अमानती राशि को जब्त कर लिया जावेँ ।

मैंने निविदा प्रपत्र में वर्णित सभी नियम एवं शर्तों को भलि भांति पढ एवं समझ लिया है तथा हम सभी शर्तों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम
पत्राचार का पता
.....
सम्पर्क फोन नं०